"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014— श्रावण 2, शक 1936

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 (श्रावण 2, शक 1936)

क्रमांक-8231/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) जो गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
**(देवेन्द्र वर्मा)**
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2014)

# छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

**छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 23 का संशोधन.**

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 23 के खण्ड (सत्रह) के उप-खण्ड (ख) की प्रविष्टि (5) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(6) छात्रसंघ."

**धारा 35 का संशोधन.**

3. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "पुरस्कार व" के पश्चात्, शब्द "छात्रसंघ का गठन तथा उसके निर्वाचन की प्रक्रिया और" अन्तःस्थापित किया जाये.

## उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: छत्तीसगढ़ केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध कौंसिल, प्रिन्सपल, कॉलेज केरल एवं अन्य एसएलपी (सिविल) क्रमांक 24295 सन् 2004 के प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि छात्र निकायों के निर्वाचन के संबंध में लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं का देश के सभी विश्वविद्यालयों में सतर्कतापूर्वक पालन किया जाये.

अतएव, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

**प्रेमप्रकाश पाण्डेय**
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

## उपाबंध

**छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 23 एवं धारा 35 का सुसंगत उद्धरण-**

* * * * * * * * * * * * * *

1. धारा 23 के खण्ड (सत्रह) के उप खण्ड (ख)-
   (1) शारीरिक प्रशिक्षण,
   (2) विद्यार्थी कल्याण,
   (3) खेलों तथा व्यायाम सम्बंधी क्रियाकलाप,
   (4) समाज सेवी योजनायें,
   (5) राष्ट्रीय कैडेट कोर

2. धारा 35 का (1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में

   निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात्-

   (क) छात्रों का प्रवेश, कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं उसके शुल्क, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अर्हताएं, छात्रवृत्ति, पुरस्कार व अन्यों के लिए शर्तें.

* * * * * * * * * * * * * *

**(देवेन्द्र वर्मा)**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.